उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2– 848 / ग्यारह–9(47) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(15)–2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिश पर, यह अधिसूचित करते है कि निम्नलिखित सेवा प्रवर्गों के मामले में, अन्तःराज्यीय पूर्तियों पर कर, इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा ;–

(एक) शीर्षक 9964 या 9973 के अधीन आने वाले रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;

(दो) शीर्षक 9963 के अधीन आने वाले आवासिक या निवास के प्रयोजनार्थ होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में वास सुविधा देने के रूप में सेवाएं, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी हो ।

स्पष्टीकरण––इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,––

(क) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ''शीर्षक'' संदर्भ जहां कहीं आये से सेवा वर्गीकरण स्कीम में ''शीर्षक'' अभिप्रेत होगा ;

(ख) "रेडियो टैक्सी" से रेडियो कैब सहित ऐसी टैक्सी अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू–वे रेडियो संचार में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने योग्य है ;

(ग) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब" और "मोटर साइकिल" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में समनुदेशित हैं ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)

विशेष सचिव